ऑन लाईन नं.GCMS2024/26

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 20/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

–विक्रेता व मालिक –

1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह
मै0 खेतेश्वर मिष्ठान भंडार, जैन सभा रोड, नजदीक राजकीय चिकित्सालय, पदमपुर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांकः 29.11.2024

निर्णय

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.08.2023 को समय सुबह 10.45 बजे **मै0 खेतेश्वर मिष्ठान भंडार, जैन सभा रोड, नजदीक राजकीय चिकित्सालय, पदमपुर, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर **सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह** (विकेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान में स्टील ट्रे में रखे **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने संस्थान में रखे 08 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** को आमजन में विकय वास्ते होना बताया। मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विकेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह (विकेता एवं मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति **श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह (विकेता एवं मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** में से 02 किलोग्राम विकेता से खरीद किया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** का नगद भुगतान

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

600/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1936** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1936** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1298/Act/2024/1298 Dated 04-09-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1936 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह मै0 खेतेश्वर मिष्ठान भंडार, जैन सभा रोड, नजदीक राजकीय चिकित्सालय, पदमपुर, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.02.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि खेतेश्वर मिष्ठान भंडार के नाम से पदमपुर में मिष्ठान की दुकान है। प्रार्थी बाजार से दूध, चीनी आदि खरीदकर अपनी दुकान में मिठाई बनाकर बेचान करता है। प्रार्थी की दुकान से बर्फी मिठाई का सैम्पल सब स्टेडर्ड फूड पाया गया। प्रार्थी जान बूझकर एफएफएमए 2006 का उल्लंघन नहीं किया गया। प्रार्थी अपने प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण का लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने का उचित आदेश फर्मावें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बर्फी मिठाई(दूध, चिनी से निर्मित)** का सैम्पल **K-1936** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./1298/Act/2024/1298 Dated 04-09-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि खेतेश्वर मिष्ठान भंडार के नाम से पदमपुर में मिष्ठान की दुकान है। प्रार्थी बाजार से दूध, चीनी आदि खरीदकर अपनी दुकान में मिठाई बनाकर बेचान करता है। प्रार्थी की दुकान से बर्फी मिठाई का सैम्पल सब स्टेडर्ड फूड पाया गया। प्रार्थी जान बूझकर एफएफएमए 2006 का उल्लंघन नहीं किया गया। प्रार्थी अपने प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण का लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने का उचित आदेश फर्मावें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **“Barfi Mithai (Made from Milk, Sugar and stuffing by Badam, Pista, Elaichi)” bearing Code No and Sr. No. K-1936, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as Extracted Fat does not conform the standard of Milk Fat as prescribed in Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह मै0 खेतेश्वर मिष्ठान भंडार, जैन सभा रोड, नजदीक राजकीय चिकित्सालय, पदमपुर, श्रीगंगानगर** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाए जाते हैं। फलतः अभियुक्त **श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवी सिंह मै0 खेतेश्वर मिष्ठान भंडार, जैन सभा रोड, नजदीक राजकीय चिकित्सालय, पदमपुर, श्रीगंगानगर** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये **15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।